

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – I राज्य सरकार का वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	1.1	1
राजकोषीय असंतुलन	1.2	4
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.3	7
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	15
सरकारी व्यय एवं निवेश	1.5	20
परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ	1.6	24
ऋण प्रबंधन	1.7	27
अध्याय – II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	31
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	31
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	32
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4	36
निधियों का अनावश्यक प्रतिधारण	2.5	38
असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय	2.6	38
अनुदान संख्या-09 “सहकारिता विभाग”	2.7	40
अनुदान संख्या-20 “स्वास्थ्य विभाग”	2.8	41
अनुदान संख्या-23 “उद्योग विभाग”	2.9	42
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन		
व्यक्तिगत जमा खाते/व्यक्तिगत बही खाते	3.1	45
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	3.2	47
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.3	49
मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.4	50
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के लेखाओं का अन्तिमीकरण में विलंब	3.5	51
उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अप्रस्तुतीकरण	3.6	52
लंबित सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	3.7	54
निवेशों/ऋणों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन	3.8	56
जमा राशि पर ब्याज की कम अदायगी	3.9	56
सामान्य भविष्य निधि (सा0भ0नि0) पर ब्याज का समायोजन	3.10	56

विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव		3.11	57
असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय		3.12	58
राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन		3.13	58
परिशिष्ट			
संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	61
1.2	भाग-क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	62
1.2	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	63
1.3	वर्ष 2018-19 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	64
1.4	वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी	1.2.4	67
1.5	राज्य सरकार के वित्त के काल श्रृंखला आँकड़े	1.3.2	68
1.6	31 मार्च 2019 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.6.1	70
2.1	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	71
2.2	कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.1	72
2.3	वर्ष 2014-15 से 2018-19 से दौरान सतत् बचत (₹100 करोड़ एवं अधिक) प्रदर्शित करने वाले अनुदानों/ विनियोजनों की सूची	2.3.2	73
2.4	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.3	75
2.5	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.4	77
2.6	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	2.3.4	79
2.7	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी	2.3.4	80
2.8	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ 100 करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.5	83
2.9	निधियों का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.5	86
2.10	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत	2.3.7	94
2.11	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण	2.3.7	95
2.12	मार्च 2019 में सघन व्यय	2.3.8	99

विषय सूची

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.13	गैर आकस्मिक खर्चों के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी	2.4	100
2.14	बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधि का आहरण	2.5	102
2.15	शत्-प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.5	104
2.16	वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक (प्रत्येक मामले में) असमाशोधित राशि की विवरणी	2.6	105
2.17	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या- 09)	2.7	108
2.18	निधियों का शत्-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान संख्या- 09)	2.7	109
2.19	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं०- 09)	2.7	110
2.20	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधियों का अभ्यर्पण (अनुदान सं०- 20)	2.8	113
2.21	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं०- 20)	2.8	118
2.22	आधिक्य अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं०- 20)	2.8	120
2.23	शत्-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं०- 20)	2.8	122
2.24	50 से 99 प्रतिशत निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं०- 20)	2.8	123
2.25	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं०- 23)	2.9	124
2.26	शत्-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं०- 23)	2.9	125
2.27	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं०- 23)	2.9	126
2.28	महालेखाकार (ले० एवं हक०) तथा विभागीय व्यय के आँकड़ों के बीच भिन्नता (अनुदान सं०- 23)	2.9	128
3.1	विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.1.2	129
3.2	लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियों' का परिचालन	3.3	130
3.3	लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' का परिचालन	3.3	131
3.4	30.09.2019 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा०क्ष०उ०) बकाए लेखे बिहार सरकार	3.5.1 एवं 3.5.2	132
3.5	उन कंपनियों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे 2018-19 तक बकाया हैं।	3.5.3	135
3.6	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभाग-वार राशि	3.6	138
3.7	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2019 को अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति में अंतर	3.7	139
संकेताक्षरों की शब्दावली			143